Provided by-Dr.Abhishek Mishra
Dept of Hindi
BA 2nd Year 4th Sem

अर्थ विज्ञान की अवधारणा और शब्द-अर्थ संबंध

भाषा की लघुतम, स्वतंत्रत सार्थक इकाई शब्द है, इसलिए अर्थ-अध्ययन के समय शब्द पर विचार करना आवश्यक है। भतृहरि ने शब्द के विषय में लिखा है कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्द-ज्ञान के बिना संभव हो। समस्त ज्ञान शब्द के ही माध्यम से अनुभव होता है।

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके: य: शब्दानुगमादृते।

अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व शब्देन भासते।।

शब्द-शक्ति जहाँ बाह्य जगत के व्यवहार का साधन है, वहीं आंतरिक हर्ष-विषाद आदि भावों का ज्ञान रूप है। संसार का कोई प्राणी ऐसा न होगा जिसमें शब्द शक्तिरूपी चैतन्यता न हो। गूँगा भले ही शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता, किंतु उसके अंतराल में उठने वाले भावों में कितने एक शब्द एक साथ पंक्तिबद्ध होकर उसे चेतना-शक्ति प्रदान करते हैं, इसे कौन अस्वीकार करेगा? मानव-समाज में शब्द के महत्त्व का मुख्य आधार उसका आत्मा रूपी अर्थ है। महर्षि पतंजलि ने अर्थ को शब्द की आंतरिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। पाश्चात्य विद्वान डॉ. शिलर ने अर्थ को वैयक्तिक बताते हुए कहा है कि अर्थ उस व्यक्ति पर आधरित होता है जो कि कुछ ग्रहण करना चहता है। डॉ. रसाल ने संबंध विशेष की संज्ञा दी है।

भारतीय विद्वान प्रतीति को अर्थ मानते हैं, तो पाश्चात्य विद्वान संदर्भ या संबंध को अर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थ के बिना शब्द का अस्तित्व संदिग्ध् हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थ के बिना भाषा का कोई मूल्य नहीं है। शब्द को यदि शरीर कहें तो अर्थ इसकी आत्मा है। शब्द के उच्चारण से श्रोता को जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति को अर्थ की संज्ञा दी जाती है। यह प्रतीति हमें ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा होती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अर्थ भाषा का अभ्यंतर रूप है और शब्द बाह्य रूप।

शब्द-अर्थ संबंध

कवि कुल गुरु कालिदास ने शिव-पार्वती की अर्चना संदर्भ से शब्द-अर्थ के संबंध के स्पष्ट करते हुए कहा है-

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये।

जगत: पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।

यदि 'कलम' शब्द का विचार करें, तो कलम शब्द और 'कलम' वस्तु में अभेद्य संबंध दिखाई देता है यथा-'यह कलम है', 'कलम काली है।'

यहाँ 'कलम' शब्द और 'कलम' वस्तु के पृथक रूप का आभास नहीं होता है। कभी-कभी तो यह भेद करना कठिन हो जाता है कि शब्दों पर विचार हो रहा है अथवा शब्द के द्वारा किसी वस्तु पर। वास्तव में शब्द द्वारा निर्दिष्ट वस्तु का ज्ञान होता है, किंतु शब्द वस्तु आदि से भिन्न है। विचारणीय है कि क्या काले रंग वाली निब से युक्त, सुनहरी टोपी वाली कलम ही 'कलम' शब्द है? उक्त निर्दिष्ट वस्तु कलम है। यहाँ काला रंग भी कलम शब्द से पूर्ण भिन्न, उस वस्तु (कलम) का गुण है।

शब्द-अर्थ पर सूक्ष्म चिंतन करने से यह ज्ञात होता है कि शब्द के द्वारा पहले उसका निजी भाषायी स्वरूप प्रकट होता है और उसके पश्चात उसका अर्थ बोध होता है। इस प्रकार शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध स्पष्ट होता है। यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है कि 'कलम' कहने से 'कागज', 'पुस्तक' या अन्य किसी वस्तु का बोध नहीं होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक शब्द से विशिष्ट अर्थ की प्रतीति होती है। यही कारण है कि वक्ता और श्रोता प्राय: एक शब्द से एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं।

शब्दों का अर्थ जन सामान्य द्वारा स्वीकृत होता है। यदि जन सामान्य द्वारा 'फूल' या अन्य किसी शब्द का कोई भिन्न अर्थ मान लिया जाए, तो वही अर्थ प्रकट होगा।

शब्द का उच्चरित स्वरूप और अर्थ-अभिव्यक्ति-जब एक शब्द का उच्चारण दो या दो से अिधाक व्यक्ति करते हैं, तो उनके उच्चारण में आपसी अंतर स्पष्ट होता है। यह उच्चारण-भिन्नता ही वक्ता की जानकारी देती है। एक शब्द का चाहे जितने आदमियों द्वारा प्रयोग किया जाए, किंतु उनका समान ही अर्थ निकलता है।

शब्द-अर्थ संबंध: चिंतन-परंपरा-प्राचीनकाल से ही शब्द और अर्थ के संबंध पर विचार होता रहा है। पतंजलि ने अर्थ को शब्द की आंतरिक शक्ति बताते हुए शब्द और अर्थ के संबंध को नित्य कहा है, तो भर्तृहरि ने दोनों को एक ही आत्मा के दो रूपों में स्वीकार किया है। शब्द-अर्थ के विभिन्न चिंतन को निम्नलिखित वर्गों में रख सकते हैं-

1. **उत्पनिवाद-**ऋग्वेद में प्रस्तुत प्राचीन मतानुसार मानव-मन में अर्थ विद्यमान होते हैं, जिनसे शब्द की उत्पत्ति होती है, अर्थात् शब्द उत्पाद है और अर्थ उत्पादक।
2. **अभिव्यक्ति-**यह विचार महर्षि पतंजलि की देन-स्वरूप है। उसके अनुसार शब्द-प्रयोग से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है-फश्रोत्रोपलिब्ध्बुद्धिनिगर्ाह्य: प्रयोगेणाभिज्वलित: आकाशदेश: शब्द:।
3. **प्रतीकवाद-**भर्तृहरि के अनुसार शब्द के प्रतीक रूप से विभिन्न वस्तुओं या पदार्थों की प्रतीति होती है। इस प्रकार शब्द और अर्थ में प्रतीकात्मक संबंध की बात सामने आती है।
4. **ज्ञाप्तिवाद-**किशेरी दास वाजसनेयी के अनुसार शब्द से अर्थ की ज्ञाप्ति होती है। जिस प्रकार बहुत ठंडेपन से बर्क का आभास होता है, उसी प्रकार शब्द से अर्थ का आभास होता है। इसके अनुसार शब्द ज्ञापक और अर्थ ज्ञाप्य है।

अर्थ-प्रतीति-अर्थ-प्रतीति के दो आधार हैं-आत्मानुभव और परानुभव।

1. **आत्मानुभव** में अपने अनुभव के द्वारा शब्द के अर्थ की प्रतीति होती है यथा-'रसगुल्ला' शब्द से एक मीठे स्वादिष्ट खाद्य-पदार्थ का ज्ञान होता है।
2. **परानुभव** में एक-दूसरे के अनुभव पर विश्वास कर शब्द का अर्थ निश्चित करते हैं यथा-'जहर' के विषय में लगभग सभी को पता होता है कि इसके खाने से प्रणांत हो जाता है, जबकि अनेक व्यक्ति ऐसे मिल जाएँगे जिन्होंने जहर देखा भी नहीं होगा। इस प्रकार जहर की अनुभूति परानुभव पर आधरित है।
3. **शब्दार्थ-**बोध के साधन-भारतीय परिवेश में शब्दार्थ-बोध के साधनों में परंपरा, कोश, व्याकरण, प्रकरण, व्याख्या, आप्त-वाक्य, सान्निध्य और सुर-लहर का विशेष महत्त्व है। जब सामान्य रूप से किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होता, तो इनमें से एक या अिधाक आधारों का सहारा लेते हैं। यदि 'उन्मेष' शब्द का अर्थ व्यवहार से नहीं होता तो परंपरा के अतिरिक्त कोश, व्याकरण आदि का सहारा लेते हैं। शब्दकोश से 'खिला हुआ', 'विस्तृत' आदि अर्थों का बोध होता है।

Me · Beginner

OBJ OBJ

अर्थ-परिवर्तन : दिशाएं और कारण

अर्थ के क्षेत्रा में आने वाले परिवर्तनों के पीछे मानवीय वृत्तियों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को अर्थ की प्रवृत्तियां भी कहा जाता है। अर्थ परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं या प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं -

1. अर्थ-संकोच-जब किसी शब्द के विस्तरित अर्थ में पहले की तुलना में कमी आती है, तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। पहले की तुलना में अर्थ के संकुचित हो जाने से शब्द के पर्याय में कमी आती है। वह किसी व्यापक अर्थ की बजाए एक विशेष अर्थ का धोतक हो जाता है। उदाहरण के लिए- मृग का मूल अर्थ 'पशु है। इसी से मृगया का अर्थ 'शिकार हुआ और मृगराज का अर्थ-पशुओं का राजा है। लेकिन अब 'मृग का अर्थ संकुचित रह गया है और 'मृग 'हिरन का वाचक रह गया है। इसी प्रकार, पहले 'मंदिर का अर्थ कोई भी भवन था, लेकिन अब केवल 'देवभवन रह गया। 'मंदिर शब्द के अर्थ में संकोच हो गया। इसी प्रकार 'सब्जी का मूल अर्थ हरियाली या कोई भी हरी चीज था, लेकिन अब सिपर्फ 'तरकारी है।

2. अर्थ विस्तार-जब किसी शब्द का पहले का सीमित अर्थ विस्तार पाता है, तो उसे अर्थ-विस्तार कहते हैं। उदाहरण के लिए- 'पत्रा शब्द का अर्थ पहले 'पेड़ का पत्ता था, किंतु अब 'पत्रा का अर्थ बहुत व्यापक हो गया। 'पत्रा का अर्थ- चिटठी, समाचार पत्रा या कोई भी पत्रा हो सकता है।

इसी प्रकार तेल का मूल अर्थ है-'तिल का तेल, लेकिन अब का अर्थ- सरसों, मूंगपफली का तेल और मिटटी का तेल भी हो गया है। अर्थ विस्तार के कारण इसके अर्थ के प्रयोग का क्षेत्रा बढ़ गया।

3. अर्थादेश-अर्थादेश का सामान्य अर्थ किसी शब्द को अर्थ का आदेश देना है। अर्थादेश के कारण किसी शब्द के सामान्य अर्थ को नया अर्थ प्राप्त होता है। जिसके कारण उसका मूल अर्थ कुछ होता है और प्रचलित नया अर्थ कुछ और हो जाता है। उदाहरण के लिए- 'मौन का मूल अर्थ है- 'मुनियों के समान व्यवहार करना। मुनि प्राय: चुप रहते थे। इसी आधर पर अब 'मौन का अर्थ बदल कर चुप रहना हो गया। 'ध्ूर्त का सामान्य अर्थ-'जुआरी है। किन्तु अब यह चालाक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहले 'असुर का अर्थ 'देवता और 'सुर का अर्थ राक्षस था, लेकिन अब इसका नया अर्थ उलटा हो गया है।

कारण-अर्थ परिवर्तन के मुख्य कारण इस प्रकार हंै -

1. लाक्षणिक प्रयोग-लक्षणा शब्द शकित के प्रयोग से शब्द अपने मूल अर्थ या सामान्य अर्थ तक सीमित नहीं रहता, बलिक उसमें एक या अधिक लाक्षणिक अर्थों का भी समावेश हो जाता है-जिससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। जैसे- 'वह वीर है कहने के स्थान पर कहा जाए कि- 'वह शेर है। 'वह केवल रटता है- कहने के स्थान पर कहा जाए कि- 'वह तोता है। 'बिलिडंग बहुत ऊँची है के साथ पर कहा जाए- 'बिलिडंग आकाश तक पहुंच रही है। यहाँ 'शेर का 'वीर, 'तोता का 'रटने वाला और 'आकाश तक पहुंचने का 'ऊँचा जैसे अर्थ इसी प्रकार के हैं।

2. सामाजिक कारण-समाज में दूसरों को संबोधित करते समय कभी-कभी कुछ शब्दों का किसी अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे घर में बहन को 'सिस्टर कहना और अस्पताल की नर्स को 'सिस्टर कहने में अंतर है। इसी प्रकार चर्च के 'पफादर और 'मदर का अर्थ घर के माता-पिता से भिन्न है। सामाजिक कारणों से सामाजिक व्यकितयों के लिए इन पारिवारिक शब्दों का प्रयोग हुआ है।

3. मुहावरों का प्रयोग-मुहावरों में भी लाक्षणिक अर्थ जुड़ जाते हैं। मुहावरों में दो या अधिक शब्दों का प्रयोग होता है, जो लाक्षणिक अर्थों को अभिव्यक्त करते हैं। लक्षणा शकित का जब बार-बार प्रयोग होता है और वह सामान्य अर्थ का स्वरूप ले लेता है, तो प्रचलन के आधर पर उन शब्दों को मुहावरा कहा जाता है। अर्थ-परिवर्तन के बाद कोश में इसका नया प्रचलित अर्थ देना आवश्यक हो जाता है। जैसे- 'आँख खोलना ;सावधन करनाद्ध, 'आँख का तारा ;प्रिय व्यकितद्ध, 'आँख तरेरना ;डपटना या ललकारनाद्ध, आदि मिलते-जुलते शब्दों वाले मुहावरे अनेक अर्थों के लिए व्यवहार में लाए जाते हैं।

4. शिष्टाचार और सुश्राव्यता के कारण - शिष्टाचार आदि के लिए किसी अर्थ में नई शब्दावली प्रचलित हो जाती है। जैसे- कैसे Ñपा की ? आदेश करिएऋ पधरिएऋ पफरमाइएऋ आदि। मृत्यु के लिए- बैकुंठ लाभ, स्मृति शेष, पंचत्व-प्रापित, स्वर्गवास आदि। या नम्रता प्रदर्शन के लिए किसी को- गरीब नवाज या पालनकर्ता कहकर संबोधित करना आदि। औपचारिकतावश प्रयुक्त इन शब्दों के अर्थ परिवर्तित होकर कुछ से कुछ हो गए हैं।

5. वातावरण में परिवर्तन-भौगोलिक परिवेश, ध्म, संस्Ñति, सामाजिक वातावरण में परिवर्तन से भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे- 'यजमान मूलत: 'यज्ञ करने वाले को कहते थे, बाद में यज्ञों का इतना प्रचलन नहीं रहा और हर उस व्यकित के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा, जो ब्राह्माण से पूजा-पाठ कराए।

ऐसे ही अंग्रेजी 'कार्न का मूल अर्थ 'गल्ला है, पर अमेरिका का मुख्य गल्ला 'मक्का था, अत: वहाँ इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार जब लोग अन्य-भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरी भाषा का शब्द उन्हें मालूम ना हो, तो वे गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और पिफर वह शब्द उसी परिवर्तित अर्थ में प्रचलित हो जाता है।

11 votes